राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश

विशाल काम्प्लेक्स, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एन.आर.एच.एम./एसपी.एम.यू./पी.सी.पी.एन.डी.टी./100/13-14/3148-75 दिनांक 28.09.2013

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायलय के निदेशों के क्रम में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

प्रदेश में गिरते हुए लिंगानुपात के दृष्टिगत माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल सं0: (एस) 349/2006, वाल्युण्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनाक 04.03.2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाल लिंग अनुपात (0–06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आई है। वर्ष 2001 में प्रदेश का बाल लिंग अनुपात 916 था जो कि वर्ष 2011 में घटकर 902 हो गया है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यह भी अवगत कराना है कि इस अधिनियम की प्रगति का अनुश्रवण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा भी नियमित किया जा रहा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि –

- अपने जनपद के समस्त ऐसे केन्द्र जो इस अधिनियम से विनियमित सेवायें प्रदान करते हैं, को चिन्हित कर उनकी मैपिंग सुनिश्चित करायें।
- ऐसे केन्द्र जिनके पास वैध लाईसेन्स नही है, को चिन्हित कर उनकी समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त अवैधानिक उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को सील करते हुए उनके विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं/नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करायें एवं अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- मा0 न्यायालय में योजित वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक माह सम्पन्न होने वाली अनुश्रवण समिति की बैठको में लंबित वादों को भी एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जाये।
- अधिनियम के अन्तर्गत गठित जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से सम्पन्न कराएं।

- अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई पालन करते हुए जनपद में जिला स्तरीय समिति की नियमानुसार बैठक एवं गतिविधियों की मासिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

आशा ही नही, अपितु विश्वास है कि आपके द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

3148-75-6

पत्र संख्या : एन.आर.एच.एम. / एसपी.एम.यू. / पी.सी.पी.एन.डी.टी. / 109 / 13–14 / तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, पी0एन0डी0टी0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
(2) मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव